कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर(म0प्र0)

बेबसाईट–www.bundeulkhadmedicalcollege.com
ई–मेल–desnsmc08@yahoo.co.in

फोन नं. 07582–236270
फैक्स नं.07582–236457

क्रमांक 4705/ भर्तीशाखा/2020 सागर,दिनांक 28/08/202

//स्टॉफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड–02 पद हेतु विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के पत्र कं.16/स्था./अराज/2019 भोपाल दिनांक 07/01/19 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में स्टॉफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर प्रत्येक संवर्ग की वैटेज के अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची **एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से** तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

उक्त पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी.ऑनलाईन की बेबसाईटwww.mponnline.gov.inपर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की **अंतिम दिनांक 16.09.2020 समय रात्रि 12:00** बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति सागर हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पद नाम, पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता व अन्य योग्यता आगे वर्णित है। इच्छुक उम्मीदवार एम.पी.ऑनलाईन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है:–

1.स्टॉफ नर्स के रिक्त पद निम्नानुसार है:–

संकाय	पद	कुल पद	अनारक्षित							अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
परिचारिका संवर्ग			बिना क्षैतिज आरक्षण		क्षैतिज आरक्षण सहित					बिना क्षैतिज आरक्षण		क्षैतिज आरक्षण सहित			बिना क्षैतिज आरक्षण		क्षैतिज आरक्षण सहित		बिना क्षैतिज आरक्षण	क्षैतिज आरक्षण सहित		
	स्टाफ नर्स	125			EWS	भू.सै.		विक.				भूसै		विक.			भू.सै.	विक		भू.सै.		वि क.
			25			17		11		24		07			19					05		
			M	F	F	M	F	M	F	M	F	M	F	F	M	F	F	F	F	M	F	F
			3	22	3	2	15	1	10	2	22	1	6	4	2	17	03	02	02	1	4	3
	कुल पद	125	56							35					24				10			

2.फार्मासिस्ट ग्रेड –02 के रिक्त पद निम्नानुसार है:–

संकाय	पद का नाम	कुल पद	श्रेणी			
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
सह चिकित्सकीय	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	09	04	02	02	01महिला

नोट:– उपरोक्त चिन्हित पदों में SC(अनुसूचित जाति), ST(अनुसूचित जनजाति), OBC(अन्य पिछड़ा वर्ग),F(महिला), M(पुरूष), EWS (आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग), भू.से.(भूतपूर्व सैनिक) एवं विक.(विकलांग) से चिन्हित संवर्ग हेतु आरक्षित है ।

3. शैक्षणिक योग्यताः–

मध्यप्रदेश शासन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के पत्र क्र.16/स्था./अराज/2019 भोपाल दिनांक 07/01/19 द्वारा जारी अनुसूची अनुसार शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:–

स्टॉफ नर्स	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।
फार्मासिस्ट	1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2)शिक्षा पद्वति में 12वीं(विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. (फार्मेसी) में डिप्लोमा/डिग्रीधारी होना आवश्यक है। 3.मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल में भेषजज्ञ(फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन आवश्यक है।

स्टॉफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्तें:–

1. यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी। परिवीक्षा अवधि में किये गये कार्य/सेवा अभिलेख के आधार पर सेवा में नियमति करने या सेवा समाप्त करने का अधिकार चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन को होगा।
2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

4. वेतनमान एंव अन्य भत्तेः–

पद का नाम	7वां वेतनमान मेट्रिक्स अनुसार
स्टॉफ नर्स	28700 (लेवल–5)
फार्मासिस्ट ग्रेड–02	25300 (लेवल–4)

महंगाई भत्ता एंव अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेंशन योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावी होगी।

5. आरक्षणः–

I. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

II. जाति संबंधी आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

III. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग(केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

IV. आरक्षण हेतु म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994) में निहित प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

V. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी किया गया हों।

VI. अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने माता–पिता की पिछले तीन वर्षो की आय का तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

VII. सामाजिक न्याय एंव निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना कंमाक 26 दिनांक 19जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। इस हेतु 50 प्रतिशत या कम अस्थिबाधित अभ्यर्थी जिनकी निःषक्तता पैरों तक सीमित हो नर्सिंग अथवा फार्मेसी काउसिल के नियमानुसार योग्य होंगे।

VIII. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक एफ–6–1/2002/आ. प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम –4(ख) में संशोधन कर संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत **"4–ख. आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल उमरिया, बालाघाटा

तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन कर सकता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रकिया अपनाए बिना उक्त पद अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध नियुक्त किया जाएगा।'

IX. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 27 जून 2017 के अनुसूची-एक की टिप्पणी कमांक -04 को ध्यान में रखते हुए **स्टॉफ नर्स के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर ही परूष स्टॉफ नर्स पदस्थ किये जाएंगे ।राजपत्र प्रकाशित होने के पश्चात प्रथम बार बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में स्टॉफ नर्स की भर्ती की जा रही है अतः वर्तमान रिक्त पदों में पुरूष स्टॉफ नर्स का 10 प्रतिशत पद प्राप्त होंगे।**

6. **आयुसीमाः-**

न्यूनतम आयु - 18 वर्ष

अधिकतम आयुः-

स्टॉफ नर्स - 65 वर्ष

फार्मासिस्ट ग्रेड - 62 वर्ष

नोट :- आयु की गणना 01 जनवरी 2020 के आधार पर की जावेगी।

7. **सामान्य शर्तेः-**

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का नागरिक होना चाहिये।
2. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। एक उम्मीदवार एक ही पद के लिये आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपकम में कार्यरत है एंव विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एंव आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	**अस्थि बाधित(45%to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।**

6. भर्ती में आरक्षण बिंदुओं अ0जा0/अ0ज0जा0/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
7. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एंव नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निःशक्तजनों की नियुक्ति हेतु उनके लिये आरक्षित अर्हता पूर्ण करने हेतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पाने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. अधिष्ठाता, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, द्वारा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रकिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध मेंमहाविद्यालय की कोई जबावदारी नहीं होगी।
10. बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर किसी भी समय किसी भी स्तर पर विज्ञप्ति को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय,म0प्र0 जबलपुर में मान्य होगा। चयन प्रकिया संबंधी किसी भी विवाद में बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एंव बाध्यकारी होगा।
12. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रकिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

13. वैवाहिक स्थिति– एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
14. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

8. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूतिपत्रः–

स्टॉफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड–02 को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को रू. 50,000/–(पचास हजार रूपये) एंव अन्य खर्चे बाकी समयावधि के वेतन के बराबर राशि जमा करनी होगी।

9. अनहर्ताएंः–

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगाः–

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण(इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो या
2. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
6. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामन्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई होः–

अ. परूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का प्यार्प्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाए गए ।

स. जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोश सिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

10. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्नलिखित प्रमाणपत्र आवश्यक हैः–

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर कीमीलेयर प्रमाणपत्र।

11. चयन प्रकिया–

- विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किये गये आवेदन तथा निर्धारित वैटेज के आधार पर कुल 100 अंकों में से 80 अंकों की प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों के वैटेज अनुसार पदों को श्रेणीवार तैयार की जावेगी तथा उक्त अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा एवं 20 अंको का साक्षात्कार हेतु प्रवेश दिया जावेगा।
- प्रत्येक श्रेणी हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा पुरूष तथा महिला स्टॉफ नर्स की पृथक–पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी ।
- पुरूष स्टॉफ नर्स की सूची पृथक से जारी की जावेगी ।
- पुरूष तथा महिला स्टॉफ नर्स की पृथक–पृथक सामान्य प्रावीण्य सूची भी तैयार की जावेगी ।

- साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक पद पर 12 के अनुपात में दो पदों तक होगी। इससे अधिक पद संख्या में 1:8 के अनुपात में 05 पदों तक, 1:6 के अनुपात में 6 से 10 पदों तक तथा 1:3 के अनुपात में 10 से अधिक पदो पर अभ्यर्थी बुलाए जावेंगे।
- प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वी में अधिक अंक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसार भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान नहीं होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जावेगा तथा साक्षात्कार की पात्रता नहीं होगी।
- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एंव व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा।

12. स्टॉफ नर्स का वेटेज निम्नानुसार रहेगा:–

12वां	BSc/ GNM*	शासकीय कॉलेज BSc/GNM को वरीयता **	MSc को वरीयता अंक***	Interview	Total
प्राप्तांकों का 10:	प्राप्तांकों का BSc = 50% GNM = 45%	BSc = 15 अंक GNM = 10अंक	05 किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से MSc	20	100

* चूंकि जी.एन.एम का कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है तथा बी.एस.सी स्नातक कोर्स है अतः स्नातक कोर्स में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत दिया गया है तथा डिप्लोमा (पत्रोपाधि) में प्राप्तांकों का 45 प्रतिशत दिया गया है, जी.एन.एम. के अंकों में इंटर्नशिप के अंक भी जोडे जावेंगे।

** कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक 1485–99 /स्था/नर्सिंग /2018 भोपाल दिनांक 16.10.2018 द्वारा शासकीय नर्सिंग स्कूल अथवा कॉलेज से उत्तीण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक /व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा उनके ऊपर व्यय संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुए उक्त वेटेज अंक दिये गये है।

*** किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एम.एस.सी वाले अभ्यर्थियों को यह वरीयता अंक दिया जावेगा।

- **फार्मासिस्ट ग्रेड–02 का वेटेज निम्नानुसार रहेगा:–**

12वां	B. Pharma/ D. Pharma	M Pharma	Interview	Total
प्राप्तांको का 10%	B. Pharma = 65% D.Pharma = 60%	05 किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से M. pharma	20	100

13. स्टॉफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड–02 के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:–

कमाक	गतिविधि	तारीख
1	आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	02/09/2020
2	आनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	16/09/2020
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	17/09/2020
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	19/09/2020

उपरोक्त तिथियॉं बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी.ऑनलाइन तथा महाविद्यालय की बेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50रूपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे । परंतु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

14. आवेदन शुल्क :–

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1000/–(एक हजार रूपये)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) एवं निशक्तजन उम्मीदवारों के लिये 800/–(आठ सौ रूपये) निर्धारित किये जाते है । उक्त आवेदन शुल्क में एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 170+ जी. एस.टी. शुल्क शामिल रहेगा।

15. आवेदन कैसे करें:–

1. कृप्या आवेदन पत्र भरने से पहले साधानीपूर्वक निर्देशों को पढ लें । आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
2. आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in की बेबसाईट पर उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेंजो की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियॉं उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:–
   1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र
   2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबधित डिग्री/डिप्लोमा/फाइनल ईयर की मार्कशीट।
   3. मध्यप्रदेश में संबधित कांउसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
   4. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
   5. उम्मीदवार का नवीन फोटो एंव हस्ताक्षर।
   6. 12वीकक्षा की अंकसूची
   7. जाति प्रमाण पत्र

   प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।
4. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी**
   आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईनwww.mponline.gov.in पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध हैं। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी. आनलाईनwww.mponline.gov.inपर Authorized Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं ।
5. **इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्पूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:–**
   - आवेदक एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in बेबसाइट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑपशन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के लोगो पर क्लिक कर एप्लिकेषन एंड सर्विसेज ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दी हुई लिंक पर क्लिक करें ।
   - आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. आनलाईन www.mponline.gov.in के माध्यम से या बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की बेबसाइट www.bmcsagar.edu.in दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और षर्तो को अच्छी तरह से पढ लें इसके उपरांत ही ऑनलॉन आवेदन करने के लिये फॉर्म पर क्लिक करें । इसके उपरांत आवेदक को स्कीन पर आनलाइन फार्म दिखाई देगा । आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है । आवदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse**ब्राउस दिखाई देगा जिसमें आवेदक अपना **नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित** अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ(प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें । इसके उपरांत उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg200KB size or minimum) फारमेट में ही सेव करें । अव आवेदक Browse बटन पर क्लिक करे इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो–हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
   - आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ ले और यह सुनिष्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है । यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरांत Submit बटन दबायें । इससे आवेदक को एक **आवेदन फार्म नंबर** प्राप्त होगा ।

इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

अ.केडिट/डेबिट कार्ड   ब. इंटरनेट बैंकिग

अ. **केडिट/डविट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः–** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है । ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के केडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है । आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्कीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा । इसमें केडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रकिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

ब. **इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :–**आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग–इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक आपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण हाने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।

6. **एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–**

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग–इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग–इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मॉगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवष्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक आनॅलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही–सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to paymentबटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास संभालकर रखें।

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।

8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay For unpaid Applicationलिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।

9. इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एंव अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay For unpaid Applicationमें उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्तProceed to paymentबटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाइन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/ पेमेंट रसीद जेनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जेनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।**

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें आनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोटः– यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गॉधी नगर भोपाल –462033, फोनः– 0755–6720200 / 0755–6720222 पर संपर्क करें।

16. महत्वपूर्ण टीप–

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी. आनलाईन /बीएमसी की बेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एंव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में एमपी ऑनलाइन/बीएमसी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एंव निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिये एंव किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिये। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एंव तदनुसार उसके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

नवीन सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की बेबसाईट **www.bmcsagar.edu.in** का अवलोकन निरंतर करते रहें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर(म.प्र.)